

Reporters Required!
For
Delhi, Haryana, UP,
Ludhiana, Shimla,
Bihar, Jammu, Jaipur
Amritsar, Bathinda,
Call/WhatsApp:
+91-9157875000
+91-9041488440
Email:
azadvaani65@gmail.com

Monthly Hindi/English Newspaper

Published from SAS Nagar (Mohali)



NEWS • VIEWS • ANALYSIS

RNI No.
PBBIL/26/A0779



Tue - 29 Sep- 2026	Year - 01	Issue 187	Page - 01	Rs. - 5	www.azadvaani.com
--------------------	-----------	-----------	-----------	---------	-------------------

गैंगस्टरों पर वार के 252वें दिन
पंजाब पुलिस की 594 जगहों पर
छापेमारी, 249 गिरफ्तार



चंडीगढ़, 29 सितंबर: पंजाब में गैंगस्टरों के खिलाफ चल रही 'गैंगस्टरों पर वार' मुहिम के 252वें दिन पुलिस ने राज्यभर में गैंगस्टरों से जुड़े लोगों के 594 चिन्हित ठिकानों पर छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान छह हथियारों समेत 249 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 182 व्यक्तियों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई की गई। चार घोषित भगोड़ों (POs) को भी गिरफ्तार किया गया।

पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने 20 जनवरी 2026 को पंजाब को गैंगस्टर मुक्त बनाने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया था। सभी जिलों की पुलिस टीमों में एंटी-गैंगस्टर टास्क फोर्स (AGTF) के साथ मिलकर अभियान चला रही हैं। अब तक इस मुहिम के तहत कुल 74,734 गिरफ्तारियां की जा चुकी हैं।

पुलिस ने लोगों से गैंगस्टरों और वांछित अपराधियों से जुड़ी जानकारी गुप्त रूप से साझा करने की अपील की है। इसके लिए एंटी-गैंगस्टर हेल्पलाइन 93946-93946 जारी की गई है। इसी बीच, 'युद्ध नशों के विरुद्ध' अभियान के 577वें दिन पुलिस ने 110 नशा तस्करो को गिरफ्तार किया।

अमृतसर में महिला, पति और भाई गिरफ्तार, 10 किलो हेरोइन व AK-47 सहित हथियार बरामद



चंडीगढ़/अमृतसर, 29 सितंबर: पंजाब पुलिस ने नशा और अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अमृतसर ग्रामीण क्षेत्र में एक महिला, उसके पति और भाई को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के कब्जे से 10.030 किलोग्राम हेरोइन, एक AK-47, एक AK-56 राइफल, तीन मैगजीन और 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं।

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अमृतसर ग्रामीण के गांव बराड़ निवासी संदीप सिंह (32), उसकी पत्नी कमलजीत कौर (31) और कमलजीत के भाई बिक्रमजीत सिंह (23), निवासी गांव गुमानपुरा के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक संदीप सिंह के खिलाफ आर्म्स एक्ट और NDPS एक्ट सहित चार अपराधिक मामले दर्ज हैं।

रबी सीजन से पहले पंजाब को 5.5 लाख मीट्रिक टन DAP और 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया की जरूरत, केंद्र से समय पर आपूर्ति की मांग



चंडीगढ़/नई दिल्ली, 29 सितंबर: पंजाब के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने रबी सीजन 2026-27 के लिए केंद्र सरकार से राज्य को 5.5 लाख मीट्रिक टन DAP और 15 लाख मीट्रिक टन यूरिया की समय पर और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब देश के केंद्रीय गेहूं भंडार में करीब 40 प्रतिशत योगदान देता है, इसलिए किसानों को समय पर खाद उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है।

नई दिल्ली स्थित नेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कॉम्प्लेक्स में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय रबी कृषि सम्मेलन को संबोधित करते हुए खुड्डियां ने कहा कि पंजाब में करीब 41 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। राज्य केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में गेहूं का लगभग 40 प्रतिशत और धान का 22 प्रतिशत योगदान देता है। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में DAP और यूरिया की आपूर्ति में देरी से किसानों को

कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, इसलिए इस बार बुवाई से पहले पर्याप्त खाद उपलब्ध कराई जाए।

खुड्डियां ने बताया कि पंजाब में पहले कपास की खेती बड़े स्तर पर होती थी, लेकिन प्रतिकूल मौसम के कारण फसल को नुकसान हुआ। वर्तमान में करीब 80 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की खेती हो रही है। अनुकूल मौसम रहने पर बेहतर उत्पादन की उम्मीद है। राज्य सरकार कपास बीज पर 33 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है, जिससे किसानों को करीब 4 करोड़ रुपये का लाभ मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार तिलहन और दलहन की खेती को बढ़ावा देने के लिए भी प्रयास कर रही है और किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए करीब 6 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई है।

कृषि मंत्री ने दावा किया कि फसल अवशेष प्रबंधन तकनीकों के माध्यम से पंजाब में पराली जलाने की

समस्या का 90 प्रतिशत तक समाधान किया जा चुका है।

उन्होंने केंद्र से पराली प्रबंधन के लिए अगली 150 करोड़ रुपये की किस्त तत्काल जारी करने की मांग की, ताकि किसानों को सब्सिडी पर मशीनरी उपलब्ध कराकर पराली जलाने की समस्या को पूरी तरह खत्म किया जा सके।

खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री का पंजाब के किसानों के लिए 2.50 लाख मीट्रिक टन प्रमाणित गेहूं बीज उपलब्ध कराने हेतु 50 करोड़ रुपये जारी करने तथा कृषोन्नति योजना के तहत करीब 43 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी करने के लिए आभार जताया। सम्मेलन में पंजाब कृषि विभाग के निदेशक गुरजीत सिंह बराड़ सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे।

जागत जोत सम्मान अधिनियम सिख समुदाय के आहत हृदयों पर मरहम लगाएगा: बाबा लक्खा सिंह

चंडीगढ़, 29 सितंबर: नानकसर संप्रदाय के प्रमुख बाबा लक्खा सिंह जी ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान से चंडीगढ़ में मुलाकात कर 'जागत जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब सम्मान (संशोधन) अधिनियम, 2026' पारित किए जाने की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह कानून श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान और पवित्रता की रक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है तथा बेअदबी की घटनाओं को रोकने में मददगार साबित हो सकता है।

मुलाकात के दौरान बाबा लक्खा सिंह जी ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान को गुरु घर की बख्शिश् के रूप में सिरोंपा भेंट कर आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा कि बार-बार होने वाली बेअदबी की घटनाओं से सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं और नया कानून ऐसे मामलों से निपटने के लिए कानूनी व्यवस्था को मजबूत करता है।

बाबा लक्खा सिंह ने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की मर्यादा और पवित्रता कायम रखना पूरे समाज की जिम्मेदारी है। उनके अनुसार, कानून में किए गए प्रावधान ऐसी घटनाओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के लिए आधार उपलब्ध कराते हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाबा लक्खा सिंह जी का

आभार जताते हुए कहा कि शब्द गुरु, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सम्मान, मर्यादा और पवित्रता को कायम रखना राज्य सरकार का मूल कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सरकार इस जिम्मेदारी को गुरु साहिब की सेवा के रूप में देखती है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार राज्य की प्रगति, शांति, भाईचारे और सामाजिक सद्भाव को मजबूत करने के लिए गुरुओं और पीरों द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी प्रत्येक सिख के लिए अत्यंत श्रद्धा का केंद्र हैं और उनकी पवित्रता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाना जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह इस कानून को अपनी उपलब्धि के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इसे गुरु साहिब की ओर से मिली सेवा मानते हैं। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने उन्हें यह जिम्मेदारी निभाने का अवसर दिया है और वह स्वयं को गुरु साहिब का विनम्र सेवक मानते हैं।

गौरतलब है कि पंजाब विधानसभा द्वारा पारित संशोधन कानून को अप्रैल 2026 में राज्यपाल की मंजूरी मिली थी। कानून में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के सरूपों की

छपाई, प्रकाशन, भंडारण, वितरण और आपूर्ति से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किए गए हैं तथा बेअदबी के कृत्यों के लिए दंडात्मक प्रावधानों को मजबूत किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पंजाब में शांति और सद्भाव बनाए रखने तथा समाज में भाईचारे की भावना को और मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करती रहेगी।



SquareNet
Innovation & Excellence

Advertisement

Zoho Mail

Google Workspace

Microsoft 365

Microsoft Solutions Partner

Google Cloud Partner

aws partner network

Are you looking for a reliable EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from SquareNet

Secure & Reliable

Professional Email

Cloud Integration

24/7 Expert Support

Scalable for Every Business

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions

SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India

www.squarenetindia.com

mail@squarenetsolutions.com

+91-904-101-2541
[PRI LINE]

Visit Us: www.azadvaani.com

For Enquiry Call: +91-90414-88440

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015